भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1869
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य

1869. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पन्ना, कटनी जिलों और छतरपुर जिले के खुजराहो में मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को एकीकृत देखभाल, सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास और सशक्तीकरण प्रदान किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त मिशन में ऐसे कोई उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) मंत्रालय तीन व्यापक मिशनों को क्रियान्वित कर रहा है। इनमें मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण; मिशन वात्सल्य में कठिन या संवेदनशील परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा, देखरेख और कल्याण के लिए योजनाएं शामिल हैं। उपरोक्त मिशनों के तहत योजनाओं और उठाए गए कदमों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) मिशन शक्ति: मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिए दो घटकों क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

(क) संबल - संबल घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं जिसमें **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** - हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत और समन्वित तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एकीकृत समर्थन तथा सहायता प्रदान करने, **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)** – एक 24x7x365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जो ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** – घटते लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंधित मुद्दों को समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया; **नारी अदालत** - महिलाओं को सशक्त बनाने और न्याय सुनिश्चित करने

जिसमें वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है।

(ख) सामर्थ्य - निम्नलिखित योजनाओं को 'सामर्थ्य' घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है: **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** - एक केन्द्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे और दूसरी संतान के रूप में लड़की होने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है; **उज्ज्वला, स्वाधारगृह (जिसका नाम बदलकर शक्ति सदन रखा गया है)** – दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह; **कामकाजी महिला छात्रावास (जिसका नाम बदलकर सखी निवास रखा गया है)** - शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं; **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एनएचईडब्लू)** - राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना तथा **राष्ट्रीय क्रेच योजना (जिसे पालना नाम दिया गया है)** - का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना है।

(ii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य ने जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर पहुंच और सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को एक मिशन मोड में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को समर्थन और पोषण देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (iii) नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए अवसर प्रदान करना (iv) यदि आवश्यक हो तो पूरक वित्तपोषण द्वारा अभिसरण कार्रवाई को मजबूत करना है। इस योजना के तहत पुनर्वास उपाय के रूप में बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) के माध्यम से संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है। गृहों में कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि शामिल हैं। गैर-संस्थागत देखभाल घटक के तहत, गोद लेने, पालन-पोषण देखरेख, पश्चात देखरेख और प्रायोजन के लिए समर्थन बढ़ाया जाता है। यह योजना कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है, जिसे गृह मंत्रालय की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) हेल्पलाइन नंबर 112 के साथ-साथ महिला हेल्पलाइन 181 के साथ एकीकृत किया गया है।

मंत्रालय की उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य में उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

'मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य' के संबंध में श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1869 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मध्य प्रदेश राज्य में मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का विवरण

क्रम सं	**मिशन**	**योजना**	**लाभार्थियों की संख्या (2023-24)**
1.	मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण योजना)		16,312
2.	मिशन शक्ति – संबल	वन स्टॉप सेंटर	13785
		महिला हेल्प लाइन	47964
3.	मिशन शक्ति – समर्थ	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	-
		शक्ति सदन (पूर्ववर्ती स्वाधार गृह और उज्ज्वल)	1202
		सखी निवास (पूर्ववर्ती कामकाजी महिला छात्रावास)	691
		पालना	43

*****